



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1122]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938

No. 1122]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/VAISAKHA 20, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 2016

का.आ. 1690(अ).—उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्-द्वारा न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, नामतः :-

- (1) यह आदेश न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 कहा जायेगा ।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।

न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में, अनुसूची में मिल के नाम एवं स्थान से संबंधित मद 4 में क्र. सं. 122 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, नामतः:-

“ 123. मैसर्स कत्यायिनी पेपर मिल्स प्रा. लि., कुदैवाला, काशीपुर, उद्यमसिंह नगर-244713, उत्तराखंड ” ।

[फा. सं. 4(3)2015-कागज]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 के सां.आ. 1105 (अ) के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और दिनांक 9 फरवरी, 2016 के सां. आ. 447 (अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(Paper Section)

ORDER

New Delhi, the 9th May, 2016

S.O. 1690(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :-

1. (1) This order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule, in item 4 relating to the name of the mill and location, after S.No. 122, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely :—

“123. M/s. Katyayini Paper Mills Pvt. Limited, Kudaiawala, Kashipur,, Udham Singh Nagar-244713, Uttarakhand”

[F. No. 4(3)2015-Paper]
SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1105 (E), dated the 11th October, 2004 and lastly amended vide number S.O. 447(E), dated the 9th February, 2016.